कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 41/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री इन्द्राज पुत्र श्री रामप्रताप विशाल फोटो स्टेट कोर्ट रोड़,
संगरिया तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।(राज.)

—–अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी। —–प्रत्यार्थी

दिनांकः–12.09.2019

आदेश

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2019 के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध है तो सूचना नियमानुसार दी जावे यदि सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो नहीं की सूचना दी जावे। अपीलार्थी को सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में दी जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ